न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:— 06/2022 तारीख रजू :— 10.01.2022

पीठासीन अधिकारी :— पूजा मीना (आर.ए.एस.)

शीशराम पुत्र प्यारसिंह जाति गुर्जर निवासी कन्जौली तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0

सायल

बनाम

1. औतार
2. देवीसिंह — पि0 सूरजमल
3. हरकेश
4. रमलेश देवी पत्नि हाकिमसिंह
5. विमला देवी पत्नि बाबूलाल
6. राधादेवी पत्नि शहीद अतरसिंह
7. सरोज देवी पत्नि जगपाल
8. मुक्ति पत्नि श्रीमन

(क्रम 1 से 8) जाति गुर्जर निवासी कन्जौली तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

9. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :— 1 अभिभाषक प्रार्थी :— सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी :— राधारमण शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक— 21/08/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस [illegible] है [illegible] खाता संख्या 351 जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के ख0नं0 [illegible]/0.31, 385/[illegible], [illegible]58/0.30, 460/0.28 कुल किता 4 कुल रकवा 1.11 है0 ग्राम कन्जौली तहसील टोडाभीम [illegible] स्थित है। उक्त आराजी [illegible] बहिस्सा 1/2 तथा गैरसायल नं0 5 बहिस्सा 1/4 तथा गैरसायल नं0 6 बहिस्सा 1/4 के नाम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या 135 में वर्णित ख0नं0 383 रकवा 0.16 है0 में सायल बहिस्सा 1/2 तथा गैरसायल नं0 1 ता 3 ब हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज है, खाता 363 में वर्णित खसरा नम्बर 1678 रकवा 0.44 है0 में सायल बहिस्सा 1/2 तथा गैरसायल नं0 1 बहिस्सा 1/40, गैरसायल नं0 2 बहिस्सा 1/40, गैरसायल नं0 3 बहिस्सा 1/8, गैरसायल नं0 6 बहिस्सा 3/10, मृतक कैलाश बहिस्सा 1/40 के नाम खातेदारी दर्ज है। कैलाश लाऔलाद फौत हुआ है उसके वारीसान उसके खास भाई गैरसायल 1 ता 3 है जो उसके तर्के पर काबिज है। खाता संख्या 458 में वर्णित खसरा नम्बर 1679/0.10, 1683/0.41 कुल किता 2 कुल रकवा 0.51 है0 में सायल बहिस्सा 1/2 तथा गैरसायल नं0 6 बहिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज है, खाता संख्या 441 में वर्णित खसरा नम्बर 137/0.13, 139/0.09, 475/0.27, 510/0.28, 537/0.11 कुल किता 5 कुल रकवा 0.88 है0 सायल के नाम खातेदारी दर्ज है। खाता संख्या 136 में वर्णित खसरा नम्बर 494/0.12, 495/0.26 कुल किता 2 कुल रकवा 0.38 है0 में गैरसायल नं0 1 ता 3 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। सायल एवं गैरसायल नं0 1 ता 3 एक ही बुजुर्ग की सन्ताने है जिनका सजरा निम्न प्रकार है।

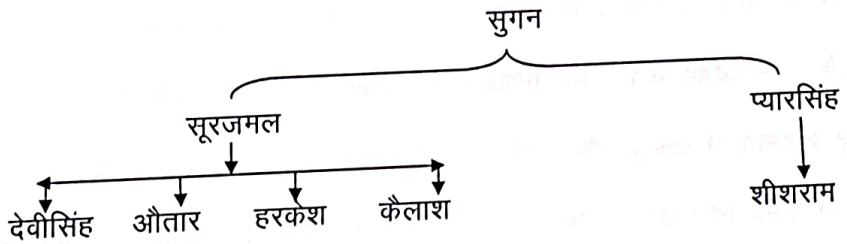

खाता संख्या 351, 135, 363, 458 में वर्णित आराजीयात को सैटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा दौराने सैटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान 393 रकवा 13 विस्वा, 394 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा, 396 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा, 399 16 विस्वा, 400 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, 1188 रकवा 3 बीघा 15 विस्वा , खाता संख्या 441 में वर्णित आराजीयात को सेटलमेन्ट द्वारा साबिक खसरा नम्बर 115 रकवा 7 विस्वा, 117 रकवा 10 विस्वा, 539 रकवा 9 विस्वा, 578 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा, 590 रकवा 01 बीघा 01 विस्वा एवं खाता संख्या 136 में वर्णित आराजीयात को सेटलमेन्ट द्वारा साबिक खसरा नम्बर 581 रकवा 17 विस्वा, 582 रकवा 02 बीघा 08 विस्वा, 588 रकवा 10 विस्वा से तरमीम कर अंकित किया है। उक्त आराजी का वाहमी बंटवारा हो रहा है तथा बाहमी बंटवारा में सायल के हिस्से में ख0नं0 494 सम्पूर्ण , 495 का 1/2 हिस्सा जिसमें वादी द्वारा रिहायश कर रखी है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

ख0नं0 381, 383, 460, 137, 139, 537 सम्पूर्ण तथा 1678, 1679, 1683 के 1/2 हिस्सा आया है। सायल अपने हिस्से पर काबिज एवं दखल है तथा अपने हिस्से का उपयोग उपभोग कर रख है। शेष नम्वरान गैरसायल नं0 1 ता 3 के हिस्से में आये थे गैरसायल नं0 1 ता 3 के हिस्से में आई आराजीयात का बेचान गैरसायल नं0 1 ता 3 द्वारा प्रतिवादी नं0 4 ता 7 को बेचान कर कब्जा करा दिया है ख0नं0 510, 475 पर प्रतिवादी 1 ता 3 आज भी काबिज है तथा अपने हिस्से का उपयोग उपभोग कर रहे है।

बांका दिनांक 24.12.2021 को सुबह करीब 9 बजे का है कि सायल अपनी आराजी खसरा नम्बर 494/0.12, 495/0.26 के हिस्से में बनी रिहायश की सार भाल कर रहा था कि गैरसायलान आये तथा कहने लगे कि तुम इस जमीन को खाली कर दो, हक इसे बेचान कर रहे है। इस पर सायल ने उन्हें समझाया कि भाईयों मैने क्या बुरा किया मैने तो मेरे हिस्से की आराजी में लागत लगाकर निर्माण किया है तथा तुमको पता है कि मैं 40 साल से इसकी में रिहायश कर रहा हूँ, इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हमने गैरसायल नं0 8 से साई ले रखी है तथा हम इसकी रजिस्ट्री करा रहे है तथा अन्य खरीददारान द्वारा सायल के कब्जशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी इस पर सायल द्वारा गांव व समाज के तथा रिस्तेदारों को एकत्रित कर समझाने का प्रयास किया मगर गैरसायल मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तथा सालय को बेदखल कर कब्जा कर लिया तथा आराजी का बेचान कर दिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जायेगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 494/0.12, 495/0.26 कुल किता 2 कुल रकवा 0.38 है0 ग्राम कन्जोली तहसील टोडाभीम सायल के हिस्से व कब्जे में मजाहमत मदाखलत नहीं करे, सायल को बेदखल नहीं करे, आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे, आराजी को रहन वय नहीं करे आराजी में निर्माण नहीं करे ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया है। गैरसायलान नं0 3 ता 7 की ओर कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिये गैरसायलान नं0 3 ता 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। गैरसायलान नं0 1, 2 व 8 की ओर से वकील

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उपस्थित हुये, वकील ने जबाव प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार सायल एवं गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र में दर्ज सजरा के अनुसार सायल व गैरसायल नं0 1 ता 3 का एक ही बुजुर्ग सुगन की ही संताने है। किन्तु विवादित आराजीयात में गैरसायल नं0 1 ता 3 के पिता सूरजमल तथा सायल के पिता प्यारसिंह की स्वअर्जित सम्पत्तियां रहीं है। उक्त विवादित आराजीयात उनके दादा सुगन की स्वअर्जित सम्पत्तियां नहीं है और ना ही सुगन के फौत होने के बाद उन्हें विरासत में मिली है। सायल व गैरसालयान के मध्य कभी किसी प्रकार का बाहमी बंटवारा नहीं हुआ है। सायल की खातेदारी की आराजीयात व गैरसायल नं0 1 ता 3 की खातेदारी की आराजीयात बिल्कुल भिन्न है। गैरसायलान नं0 1 ता 3 की खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 494, 495 के किसी भू–भाग पर किसी प्रकार की कोई रिहायश सायल की नहीं है बल्कि वास्तविकता यह है कि गैरसायल नं0 1 व 2 ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0नं0 494 रकवा 0.12 है0, 495 रकवा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.38 है0 में अपने हिस्से की 2/3 भूमि का विक्रय 1,50,000/– रूपये में गैरसायला नं0 8 को विक्रय कर मौके पर कब्जा करा दिया है। तभी से विक्रीत भू–भाग पर गैरसायला नं0 8 ही मौके पर काबिज एवं दखील है।

दिनांक 24.12.2021 को किसी प्रकार का कोई बांका घटित नहीं हुआ है। सायल बिना किसी प्रतिफल के लट्ठ की ताकत पर गैरसायल नं0 1 ता 3 की आराजीयात हडपना चाहता है। ख.नं. 494/0.12, 495/0.26 की खातेदारी गैरसायल नं0 1 ता 3 के ना है व सही है। सायल का उक्त आराजीयात से कभी भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। उक्त खसरा नम्बर के बेचान से सायल को किसी प्रकार की क्षति नहीं है। विशेष विवरण में अंकित किया है कि खाता संख्या 136 में वर्णित ख0नं0 494/0.12 है0, 495/0.26 है0 आराजीयात गैरसायल नं0 1 ता 3 के पिता सूरजमल की स्वअर्जित आराजी रही है। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बरान 581 रकवा 17 विस्वा, ख0नं0 582 रकवा 02 विस्वा तथा 586 रकवा 10 विस्वा रहे है। सायल बिना किसी प्रतिफल के लट्ठ की ताकत पर गैरसायल नं0 1 ता 3 की आराजीयात को हडपना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सायल खारिज खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम कन्जोली के खसरा नम्बर 494 रकवा 0.12 है0, 495 रकवा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.38 है0 की खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। सायल उक्त खसरा नम्बर में सहखातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है। सायल ने उक्त खसरा नम्बर पर कब्जे संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किये जो प्रार्थी के स्वामित्व या कब्जे को दर्शाता हो। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे अप्रार्थी को पाबन्द करना अप्रार्थी को क्षति होने की संभावना कारित करता है। अस्थाई निषेधाज्ञा से अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

आदेश

अतः सायलान एवं गैरसायलान अपनी–अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 494 रकवा 0.12 है0, 495 रकवा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.38 है0 की खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:51 IST
Reason: SelfAttested